तारांकित प्रश्न क्र० 4240 परिशिष्ट 'अ'

[24/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 4240]

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462 004

भोपाल, दिनांक 01 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 7-47/2016/आ.प्र./एक

प्रति

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिला कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:-धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद आदि जाति के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने "मांझी" जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा/शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त किया है उन्हें संरक्षण दिये जाने बाबत् ।

.....

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद आदि जाति के जिन व्यक्तियों द्वारा "माझी" अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 11.11.2005 के पूर्व शासकीय सेवाओं में नियोजन व शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए । किन्तु उक्त दिनांक के पश्चात् उन्हें अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं मानते हुए आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग

(के.के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

---2